



DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION DHANBAD

कार्यालय धनबाद नगर निगम, धनबाद TRADE LICENSE

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या : 16/17/28024713

दिनांक : 30-06-2016

श्री/श्रीमती **SUDHA PRIYA** पिता/पति का नाम **ASHOK KUMAR**

वार्ड नं. **28** धनबाद नगर निगम क्षेत्रांतर्गत.

प्रतिष्ठान का नाम **HOME DESIGN ASSOCIATES** प्लॉट नं. गृह संख्या

वार्ड **28** मुहल्ला / बाईलेन में **ASTHA PRITHVI TRADE CENTRE NEAR BEKAR
BANDH, DHANBAD-826001**

व्यवसाय **CONSULTANT ENGINEER** के लिए निर्धारित शुल्क **500.00/-**

(Five Hundred Rupees) ₹ Transaction No. **TRN146729480020236**

दिनांक **30-06-2016** द्वारा प्राप्त कर वर्ष **2016-2017** के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाया जाना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण कराना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विलम्ब होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के आधीन Penalty देय होगा। अनुज्ञप्ति निस्तारण का अधिकार नगर आयुक्त को सुरक्षित है।
8. प्रतिष्ठान के सामने अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा फेंकना सुनिश्चित करेंगे।



निबंधन पदाधिकारी,
धनबाद नगर निगम,
धनबाद।